प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

[7/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 1900]

परिशिष्ट प्रपत्र -1

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

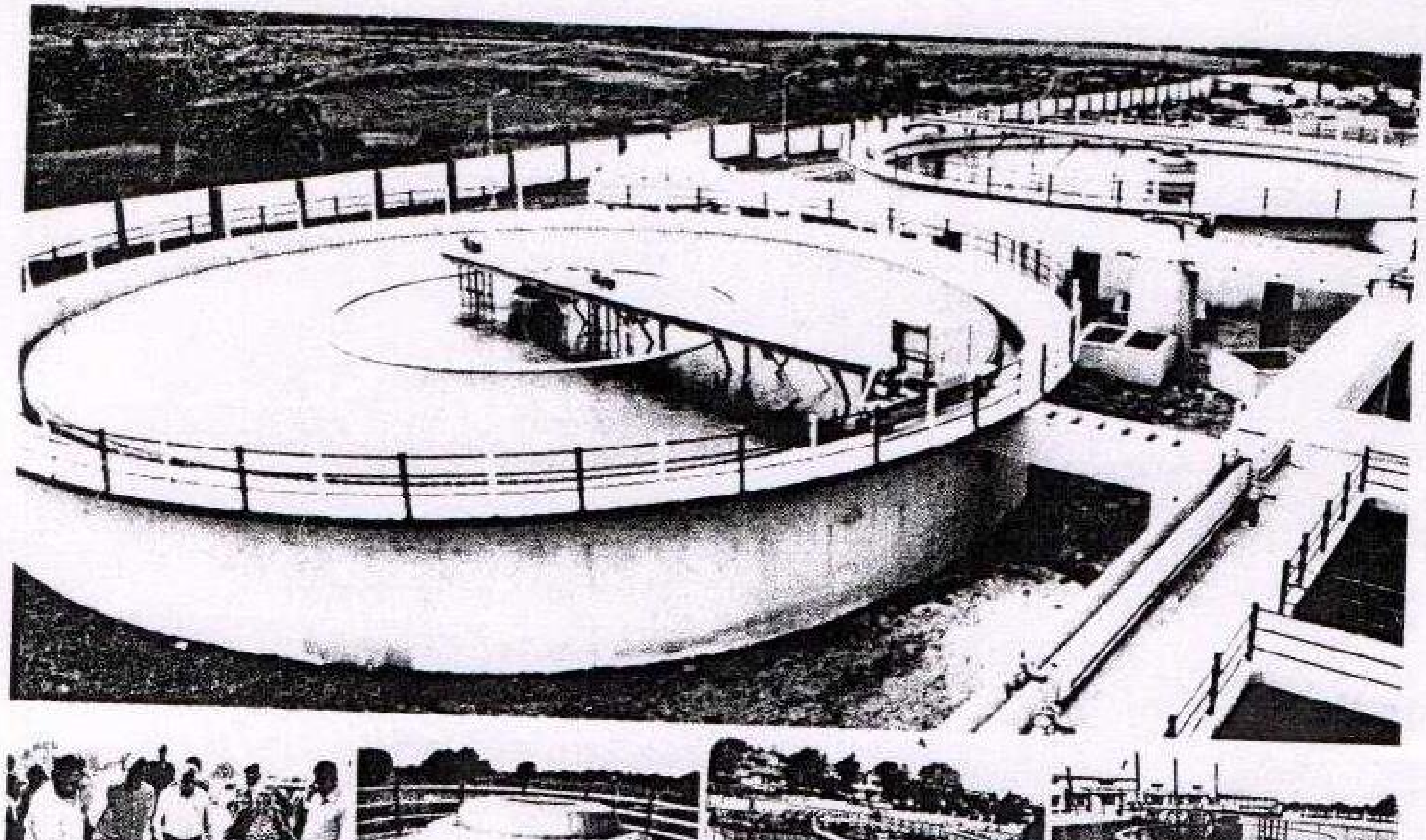

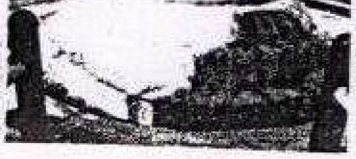

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

3. भाग – तीन

3.1 राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं :–

3.1.1 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्ग दर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक भारत सरकार से प्राप्त राशि के समतुल्य राशि (50:50) राज्य शासन द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती थी, वर्ष 2016–17 से सभी कार्यक्रमों हेतु वित्तीय ढॉचे का अनुपात 60:40 (केन्द्रांश एवं राज्यांश) निर्धारित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर हैण्डपम्प योजनाओं से जलप्रदाय हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं नलजल योजनाओं के माध्यम से 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाए भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। नवीन दिशा–निर्देशों के अनुरूप अब विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नलजल योजनाओं से पेयजल प्रदाय के वर्तमान स्तर 30 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाया जा सके।

3.1.2 बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मानदण्ड :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका में लाभान्वित समुदाय को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह स्वयं के लिये जलप्रदाय का स्तर स्वयं निर्धारित कर सके, इस प्रावधान के अनुसार बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 500 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

3.1.3 बसाहटों में कार्य की प्राथमिकता :–

विधान सभा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

- प्राथमिकताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :–

1. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था।

"परिशिष्ठ- प्रपत्र-2

विधानसभा 1900 तारांकित (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)

(संशोधित)

जिला बालाघाट में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 250 आंशिक पूर्ण श्रेणी की ग्रामीण बसाहटों में प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध सिविल संकाय एवं मैकेनिकल संकाय में प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड का नाम	सिविल संकाय				मैकेनिकल संकाय				महायोग			
			बसाहट	कुल नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	बसाहट	कुल नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	बसाहट	कुल नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप
1	बालाघाट	बालाघाट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लालबर्रा	11	12	11	1	0	0	0	0	11	12	11	1
2	परसवाड़ा	बालाघाट	18	18	18	0	5	5	5	0	23	23	23	0
		परसवाडा	19	19	19	0	6	6	6	0	25	25	25	0
		किरनापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	लांजी	लांजी	0	0	0	0	14	14	14	0	14	14	14	0
		किरनापुर	0	0	0	0	20	21	21	0	20	21	21	0
4	वारासिवनी	वारासिवनी	20	23	22	1	0	0	0	0	20	23	22	1
		खैरलांजी	21	24	21	3	0	0	0	0	21	24	21	3
5	कटंगी	कटंगी	32	35	33	2	5	5	5	0	37	40	38	2
		खैरलांजी	13	14	14	0	9	9	9	0	22	23	23	0
6	बैहर	बैहर	25	25	20	5	0	0	0	0	25	25	20	5
		बिरसा	27	27	22	5	0	0	0	0	27	27	22	5
		परसवाड़ा	5	5	5	0	0	0	0	0	5	5	5	0
		कुल योग :-	**191**	**202**	**185**	**17**	**59**	**60**	**60**	**0**	**250**	**262**	**245**	**17**

अधिकारी
विधानसभा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
बालाघाट